(P.1.)
Shyam Sundar Prasad Singh. Adarsh College (1)
Department of — Commerce, Rajdhanwar

B.Com Hons. Sem.-II, Session 2019-2022

Core — III, Subject — Business Organization and Administration

Q.— व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए।

Ans.:— परस्पर प्रतिस्पर्धा में संलग्न दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने प्रयत्नों को संयुक्त रूप प्रदान करती है तो वह व्यावसायिक संयोजन कहलाता है।

प्रो० हैने ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्यावसायिक संगठन में लिखा है कि "प्रतिस्पर्धा, संयोजन की जननी है" संयोजन का अर्थ, एक होना, जुड़ना या एकत्रित होना एकमुल पहचान है।

किसी भी संयोजन के दो उद्देश्य हो सकते हैं:—

(i) व्यापारिक संस्थाओं के अस्तित्व की रक्षा करना तथा

(ii) व्यापारिक संस्थाओं को विकसित एवं विस्तृत करना।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त करने सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देने तथा जनता की सेवा के लिए विभिन्न व्यापारिक इकाइयों का एकीकरण ही संयोजन कहलाता है।

व्यावसायिक संयोजन के कारण और लाभ:—

इन कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

(A) व्यावसायिक कारण एवं (B) बाह्य कारण

(A) व्यावसायिक कारण:—

(i) विशाल आकार के उत्पादन की मितव्ययिताओं:— संयोजन का निर्माण अनेकों उत्पादकों द्वारा मिलकर बड़े पैमाने पर उत्पादन कच्चे माल पर कर, तैयार माल के विपणन साख की प्राप्ति आदि की मितव्ययिताओं प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। विशाल पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक और बाहरी बचतें उत्पादन की लागत को कम कर देती है जिससे लाभ बढ़ते हैं।

(ii) व्यापारिक चक्रों के अवसाद काल में सुरक्षा — तेजी का काल तो सभी उपक्रमों के लिए सम्पन्नता का समय होता है किन्तु मन्दी के समय कमजोर तथा अनार्थिक व्यवसायी और औद्योगिक संस्थान जीवित रहने के लिए सहारा खोजने लगते हैं।

Scanned with CamScanner

② (iii) संगठित होकर अधिक लाभ कमाना सम्भव :— प्रतिस्पर्धा का निवारण उसकी हानियों की रक्षा कर देता है तदन्तर, अधिक लाभ कमाने के सामूहिक हित के लिए उद्योग संयुक्त रहना अधिक अच्छा समझते हैं।

(B) बाह्य कारण :— व्यवसाय के बाहर की परिस्थितियों में परिवर्तन आर्थिक नीति, औद्योगिक अथवा प्रबन्धकीय तकनीकों में परिवर्तनों के कारण भी संयोजन को बढ़ावा मिलता है।

(i) उद्योगों के संरक्षण :— स्वदेशी उद्योगों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा आयातों पर प्रतिबन्ध संरक्षणात्मक सीमा प्रशुल्क लगाकर बाह्य प्रतिस्पर्धा के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, ऐसे समय में संरक्षित उद्योग भी अपनी एकाधिकारी स्थिति में अधिकतम लाभ उठाने के लिए संयोजित हो जाते हैं।

(ii) मुद्रा की नीति :— राष्ट्रों की मुद्रा नीति में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण प्रत्येक इकाई समुचित योजना बनाने में असमर्थ हो जाती है तथा जोखिम भी बढ़ने लगती है। आर्थिक अस्थिरता के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए इकाइयों को संयोजन के लिए विवश होना पड़ता है, जोखिम जितनी अधिक हो जाती है उतनी ही अधिक प्रेरणा संयोजन के लिए मिलती है।

(iii) सरकारी नीति :— सरकारी नीति संयोजन के लिए विकास में सहायक अथवा बाधक हो सकती है, कभी-2 सरकार संयोजन को प्रोत्साहन करती है, जैसे भारत में R.B.I के आदेश पर पंजाब नेशनल बैंक तथा भारत बैंक का संयोजन किया गया। सरकार राष्ट्रीयकरण द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से संयोजन की स्थिति उत्पन्न कर देती है।

(iv) विवेकीकरण के भारी व्ययों का वहन :— इन भारी व्ययों का वहन संयोजित उद्योगों में ही सुगम होता है क्योंकि उनके आर्थिक साधनों में वृद्धि हो जाती है।

(v) संचार एवं यातायात साधनों का तीव्र विकास :— इसके विकास के कारण फैलाव क्षेत्र होता गया और बाजार विस्तृत, फलतः प्रतियोगिता का क्षेत्र भी व्यापक हो गया है।

अधिक उत्पादन शक्ति एकत्रित कर तथा पारस्परिक प्रतियोगिता का निवारण कर समूचे बाजार पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से संयोजन के व्यापारिक पार्षद आदि रूप ग्रहण करलिए जाते हैं।

संयोजन के उक्त कारणों के अध्ययन से उनके लाभ भी स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं अर्थात संयोजन के कारण, लाभ दोनों में काफी समानता है।

Scanned with CamScanner

(3)

संक्षेप में संयोजन के लाभ

(i) उत्पादन व्ययों में तथा आर्थिक साधनों के उपयोग में मितव्ययिता प्राप्त होती है।

(ii) प्रबन्ध में नियुक्ति में भी पर्याप्त मितव्ययिता होती है।

(iii) विवेकीकरण तथा औद्योगिक अनुसंधान के लाभ पाने के लिए अधिक साधन एकत्रित होते हैं।

(iv) बड़ा व्यापार को सम्भव बनाने में भी मदद पहुँचती है।

(v) विदेशी व्यापार में संयोजन का अत्यन्त आवश्यक स्थान है।

(vi) औद्योगिक इकाइयों में सहकार की भावना उदित होती है।

(vii) अन्य लाभ! — भाव मिलने सुविधा बड़ी मात्रा में उत्पादन की बचत, विनियोजित पूँजी पर अधिक प्रचलन अथवा आय आदि।

संयोजन से हानियाँ

(i) पूँजीवादी प्रवृत्तियों का विकास — संयोजन पूँजीवादियों के विकास में अधिकतम सहयोग देते हैं। चूँकि समृद्धि और अधिक समृद्ध वाले ही प्राप्त करते हैं और निर्धनों का शोषण होता है।

(ii) कच्चे माल के उत्पादकों का शोषण! — संयोजन के रूप में औद्योगिक निर्माता संगठित होकर कच्चे माल के उत्पादकों का माल मन-माने भाव पर खरीद कर उनका शोषण करते हैं, क्योंकि उत्पादक अशिक्षित होते हैं।

(iii) अ-कुशल व्यवस्था: — कभी-कभी औद्योगिक संगठन का अधिक विस्तार हो जाने से कार्यक्षमता में कमी होने लगती है। अतः उनका आन्तरिक प्रबन्ध जटिल एवं अलाभप्रद बन जाता है।

(iv) औद्योगिक जड़ता: — एकाधिकारी प्रवृति के कारण औद्योगिक जड़ता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है।

(v) अन्य दोष! — भ्रष्ट प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, संयोजन व इरादों के लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई, जन कल्याण के विरुद्ध कार्य आदि।

अतः संयोजन के उपर्युक्त लाभ दोषों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जन-हित में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह औद्योगिक संयोजन की कार्यवाहियों पर

(5) समुचित निगरानी एवं नियन्त्रण रखें, तथा उन्हें किसी भी हालत में जन-हित विरोधी कार्यों में संलग्न न होने दें। उल्लंघन की दशा में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि जरूरत हो तो जन-हित के विरुद्ध कार्य करने वाले संयोजनों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner